

प्रेषक

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,  
जौनपुर।

सेवामे,

प्रबन्धक

### नेशनल एकेडमी जज्जराजगेज

शु. वाप्ताप्ता द्वाप्ता - जैनपुर।

पत्रांक: मान्यता / 7342-45 / 2014-15

दिनांक 01.09.2014

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदय

जांच अधिकारी/ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/ संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त ०३० शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-६ आदेश संख्या ४१९/७६-६-२०१३-१८(२०)/९१ दिनांक ०८ मई, २०१३ के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक ३०.०८.२०१४ के अनुकम में तारीख..... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं नेशनल एकेडमी जज्जराजगेज शु. वाप्ताप्ता द्वाप्ता - जैनपुर। को ०१.०९.२०१४ से ३१.०८.२०१७ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्ष ०८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
  2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपांचं १) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, २०१० (उपांचं २) के उपांचंों का पालन करेगा।
  3. विद्यालय कक्षा १ में (या यथा सिथित, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रदेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
  4. पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) उपांचंों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के विद्यालय एक पृथक खाता रखेगा।
  5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
  6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा १५ के उपांचंों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
    - (१) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
    - (११) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
    - (१११) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ति ग्रस्त / विशेष अवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यहां और कोई विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
  - (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
  7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पठ्यक्रम का पालन करेगा।
  8. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
- कुल निर्मित क्षेत्र।
- कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल।
- कक्षाओं की संख्या।
- प्राध्यापक—सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष।
- बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय।
- पेयजल सुविधा।
- मीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई।
- बाधा रहित पहुँच।
- अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से न तो कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाएं और ना ही अन्य शाखाएं चलाई जायेगी।
  10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रायोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक X है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात / अभिलेख किसी भी स्तर पर कूटरचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहारित करने को कायवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने नीजि स्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय

(परमहंस सिंह यादव)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जौनपुर।  
दिनांक उक्तावत्।

पृ० सं०: मान्यता /

/ 2014-15

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. ज्ञानिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्ड / नगरक्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन नेशनल विलिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विलिंग कोड के अनुसार निर्मित होने के प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर लें, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील हैं तथा शासनादेश के दिनांक 08.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

(परमहंस सिंह यादव)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जौनपुर।